<u>अनुबंध -1</u>

बैंक का नाम : --------------------------

निदेशक*द्वारा घोषणा और वचन

(. . . . . . . को यथोचित अनुलग्नकों सहित)

I. **निदेशक के व्यक्तिगत ब्योरे**

क. पूरा नाम

ख. जन्म तारीख

ग. शैक्षणिक अर्हता

घ. संबंधित पृष्ठभूमि और अनुभव

ङ. स्थायी पता

च. वर्तमान पता

. छ. ई-मेल पता/टेलीफोन नंबर

ज. आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या तथा आयकर सर्कल का नाम और पता

झ. संबंधित जानकारी और अनुभव (बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3-ए देखें)

ञ. बैंक के निदेशक होने से संबंधित कोई अन्य जानकारी

II. **निदेशक की रिश्तेदारी**

क. बैंक से संबद्ध यदि कोई रिश्तेदार हों तो उनकी सूची (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1ए देखें)

ख. ऐसी संस्थाओं की सूची जिसमें उसका हित निहित समझा जाता हो (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 299 (3) (ए) तथा धारा 300 देखें)

ग. ऐसी संस्थाओं की सूची जिनमें यह समझा जाता हो कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(एनई) के निहितार्थों में उसका पर्याप्त हित निहित है - प्रस्तावित और विद्यमान

घ. ऐसे बैंक का नाम जिसके बोर्ड में वह सदस्य हो अथवा रहा हो (उस अवधि के ब्योरे सहित जिनमें वह ऐसा निदेशक रहा हो)

ङ. निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं यदि बैंक से वर्तमान में उसके द्वारा ली गयी हो और/अथवा उपर्युक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा ली गयी हों

च. ऐसे मामले जहां निदेशक अथवा उपर्युक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने बैंक अथवा किसी अन्य बैंक से ली गयी ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की हो अथवा चूककर्ता रहा हो/रही हों ।

III. **पेशेवर उपलब्धियों का रिकार्ड**

क. संबंधित पेशेवर उपलब्धियां

IV. **निदेशक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां, यदि कोई हों**

क. यदि निदेशक किसी पेशेवर एसोसिएशन/संस्था का सदस्य हो और उसके विरुद्ध यदि कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो अथवा शुरू की गयी हो अथवा विगत में उसे दोषी ठहराया

गया हो अथवा उसे कभी भी किसी पेशे /कार्य में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया हो, तो उसके ब्योरे

ख. यदि आर्थिक कानूनों अथवा विनियमनों के उल्लंघन के लिए निदेशक और अथवा उपर्युक्त 11(ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी संस्था के विरुद्ध अभियोजन लंबित अथवा शुरू किया गया हो अथवा उसके परिणामस्वरूप दोषी ठहराया गया हो, तो उसके ब्योरे

ग. निदेशक के विरुद्ध यदि कोई आपराधिक अभियोजन लंबित हो अथवा शुरू किया गया हों अथवा उसके परिणामस्वरूप यदि दोषी ठहराया गया हो, तो उसके ब्योरे

घ. क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंतर्गत निर्दिष्ट कोई अयोग्यता तो नहीं रखता

ङ. क्या निदेशक अथवा उपर्युक्त II (ख) और (ग) मे सूचीबद्ध कोई संस्था किसी सरकारी विभाग अथवा एजेंसी की पहल पर जांच के अधीन तो नहीं रही है ।

च. क्या निदेशक कभी सीमा शुल्क/उत्पादन शुल्क/आयकर/ विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा किसी नियम/ विनियम/कानूनी अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी तो नहीं पाया गया है, यदि हां, तो उसके ब्योरे दें

छ. क्या निदेशक को सेबी, आइआरडीए, डीसीए जैसे विनियामक से कभी कोई प्रतिकूल टिप्पणी तो नहीं मिली है

V. **मद I से III के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा उपयुक्त और उचित का निर्धारण करने के संबंध में आवश्यक समझी गयी अन्य कोई जानकारी**

वचनपत्र

मैं यह पुष्टि करता हूं कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त जानकारी सही और पूर्ण है तथा यह वचन देता हूं कि मेरी नियुक्ति के बाद घटनेवाली ऐसी सभी घटनाओं की जानकारी मैं बैंक को यथाशीघ्र पूर्णतः उपलब्ध कराऊंगा जो ऊपर दी गयी सूचनाओं से संबंधित होंगी ।

मैं यह भी वचन देता हूं कि बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किये जाने के लिए अपेक्षित प्रतिज्ञा विलेख निष्पादित करूंगा ।

स्थान : निदेशक के हस्ताक्षर

दिनांक :

VI. **बैंक की नामन समिति की टिप्पणी**

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक :